(c) the total tax revenue, State-wise:

(d) the per capita income, State-wise;

(e) the contribution to national income, State-wise; and

(f) the centre's contribution to the States, State-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) to (e) State-wise Net Domestic Product, per capita, Net Domestic Product, total tax revenue and share in net Domestic Product are given in Annexure [See Appendix CIXV. Annexeure No. 79]. The per capita income, which is based on income accuing approach, as district from income originating approach followed in the case of per capita NSDP, is not available State-wise.

(f) Information is given in Annexure (See Appendix CLXV, Annexure No. 80).

भारतीय जीवन बीमा निगम की जनकपुरी स्थित यूनिट द्वारा पालिसी से संबंधित राशि को जमा कराने में विलम्ब

4268. **श्री राम करेश यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की जनकपुरी स्थित यूनिट सं० 128, नई दिल्ली के प्रबंधकों द्वारा पालिसीधारियों द्वारा जमा कराई गई राशि को 2-3 दिनों के बाद बैंकों के खातों में जमा कराया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो राशियों को देरी से जमा कराने के कारणों की किस प्रकार की जांच कराई गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पालिसीधारियों की राशि को बैंकों में जमा कराते समय पर्याप्त सुरक्षा का अभाव रहता है ; और

(घ) यदि हां, तो सुरक्षा प्रबंधों को सुदृढ़ करने और पालिसी से संबंधित राशियों को समय पर जमा कराने को सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या उपाय किए जा रहे है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जनकपुरी स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय में एकत्रित सारी रकिय दिन प्रति दिन के आधार पर बैंक जमा करायी जाती है। उनकी बैंकरों के साथ एक व्यवस्था है जिसके अनुसार बैंक का प्रतिनिधि जीवन बीमा निगम के कार्यालय में बुधवार को छोड़कर जबकि बैंक का साप्ताहिक अवकाश होता है हरेक कार्य दिवस को जाता है और नकद राशि एवं चैक एकत्रित करता है। केवल बुधवार तथा उन दिनों को छोड़कर जब हड़ताल, बंद या किसी अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियां सामान्य क्रियाकलाप प्रभावित होता है, एकत्रित राशियों को बैंक में जमा करने में कोई विलम्ब नहीं होता।

(ग) और (घ) क्योंकि बैंक उसी भवन में स्थित है जहां पर जीवन बीमा निगम की शाखा है, इसलिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है और बैंक का प्रतिनिधि अधिकांश दिनों में जीवन बीमा निगम कार्यालय से नकद राशि एकत्रित करता है। जब भी जीवन बीमा निगम के कर्मचारी को नकद राशि बैंक ले जानी पड़ती है तो यह सुनिश्चित किया जाता है कि उसके साथ स्टाफ सदस्य/अधिकारी हो। नकद राशि ले जाते समय चोरी या लूटपाट द्वारा नकद राशि की हानि के जोखिम का पूरी तरह से बीमा किया जाता है, और किसी भी प्रकार की हानि होने पर ओरियंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति की जाती है।